झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।
अधिसूचना

राँची, दिनांक– 6 अगस्त, 2024

संख्या–4/मुकदमा –04–07/2023 का० **5146**/ झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रथम सीमित उप समाहर्त्ता प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं. 05/2005) में श्री रविकान्त शर्मा, अनुक्रमांक 20053978 ने पिछड़ा वर्ग कोटि के उम्मीदवार के रूप में आवेदन किया। वर्ष 2020 में आयोग द्वारा परीक्षा के पूर्व आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र समर्पित करने का निदेश दिया गया। श्री शर्मा द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग–I अथवा पिछड़ा वर्ग–II का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने के कारण आयोग द्वारा श्री शर्मा को अनारक्षित कोटि का अभ्यर्थी माना गया।

2. प्रथम सीमित उप समाहर्त्ता प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं. 05/2005) के अभ्यर्थी श्री रविकान्त शर्मा द्वारा हिन्दी विद्यापीठ, देवघर से साहित्यालंकार की उपाधि प्राप्त करने के कारण अनारक्षित कोटि में उनकी उप समाहर्त्ता के पद पर नियुक्ति नहीं किये जाने के फलस्वरूप श्री शर्मा द्वारा नियुक्ति हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में W.P.(S) No-2360/2023 दायर किया गया।

3. माननीय न्यायालय द्वारा W.P.(S) No-2360/2023 रविकान्त शर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 23.08.2023 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

"13. As a sequitur to the aforesaid observation, Rules, Guidelines and judicial pronouncements, the impugned order dated 15.03.2023 (Annexure-4) is hereby quashed and set aside.

14. The respondent-JPSC shall recommend the case of petitioner for appointment on the post of Deputy Collector to the State. Upon receipt of such recommendation, the State shall issue appointment letter to the petitioner with all consequential benefits."

4. W.P.(S) No-2360/2023 रविकान्त शर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 23.08.2023 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध LPA No. 113/2024 दायर किया गया। LPA No. 113/2024 में दिनांक 26.06.2024 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

"8. In view of the notification dated 26th February 2015 and the judgment passed in W.P.(C) No. 3115 of 2015 and analogous cases, this Court is not required to say anything more, and the Letter Patent Appeals filed by the State of Jharkhand are liable to be dismissed. However, Mr. Sachin Kumar, the learned A.A.G-II submits that the appointees were undergoing training at the time the writ petitions were filed and now no post is vacant. We think that for this reason the appointment of meritorious candidates who had approached this Court in time cannot be declined and all that we intend to observe is that the State Government may create supernumerary posts for those candidates/appointees .

5. प्रथम सीमित उप समाहर्त्ता प्रतियोगिता परीक्षा के लिए झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन (विज्ञापन सं. 05/2005) के आलोक में श्री शर्मा द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग कोटि में आवेदन किया गया था । वर्ष 2020 में आयोग द्वारा परीक्षा के पूर्व आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र समर्पित करने का निदेश दिया गया। श्री शर्मा द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग–I अथवा पिछड़ा वर्ग–II का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने के कारण आयोग द्वारा श्री शर्मा को अनारक्षित कोटि का अभ्यर्थी मानते हुए अनुशंसा किया गया।

6. उपरोक्त वादों में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित आदेश के आलोक में झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रथम सीमित उप समाहर्त्ता प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन सं. 05/2005) के आधार पर आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में श्री रविकान्त शर्मा, अनुक्रमांक 20053978 की झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि (वेतनमान PB-II, 9300–34800 ग्रेड पे 5400) में अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत परीक्ष्यमान उप समाहर्त्ता के रूप में औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए गढ़वा जिला में जिला प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु पदस्थापित किया जाता है।

7. श्री रविकान्त शर्मा की उप समाहर्त्ता के पद पर अनारक्षित कोटि में नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :–

(i) अभ्यर्थी की परीक्ष्यमान अवधि, नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की होगी। संतोषप्रद सेवा नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि को बढ़ाया जा सकता है। नवनियुक्त परीक्ष्यमान उप समाहर्त्ताओं का प्रशिक्षण विभागीय पत्रांक 2/स्था०नि०–01/08 का० 4191 दिनांक 08.07.2008 द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण अवधि एवं कार्यक्रम के अनुरूप सम्पन्न कराया जाएगा।

(ii) अभ्यर्थी संलग्न विहित प्रपत्र में अपने वर्तमान पता में अंकित जिला के अनुमण्डल पदाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा प्रमाणित इस आशय का शपथ पत्र प्रशिक्षण हेतु योगदान के समय संबंधित जिला में समर्पित करेंगे कि इनके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण पत्र सही हैं तथा उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई अपराधवाद/अन्य वाद दायर नहीं है एंवं इनका आचरण प्रतिकूल नहीं है।

(iii) अभ्यर्थी की वरीयता झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार नियमानुसार निर्धारित की जाएगी। इस अधिसूचना की क्रम संख्या वरीयता सूची/मेधा क्रमांक नहीं है।

(iv) अभ्यर्थी को प्रशिक्षण हेतु आवंटित जिला में अधिसूचना निर्गमन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से योगदान देना है।

(v) अभ्यर्थी को प्रशिक्षण हेतु आवंटित जिला में योगदान के समय निम्न कागजात समर्पित करना होगा :–

(क) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–1919 दिनांक 28.01./6 द्वारा दहेज न लेने से संबंधित घोषणा पत्र ।

(ख) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या– 5437 दिनांक 09.09.2010 एवं 9519 दिनांक 22.09.2014 के आलोक में विहित प्रपत्र में चल–अचल सम्पत्ति का ब्यौरा।

(ग) असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र।

(घ) पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (Relieving Order) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्यागपत्र की प्रति ।

(vi) समर्पित प्रमाण पत्रों में भविष्य में जाँचोपरान्त किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर उनकी नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जा सकती है।

(vii) नियुक्ति विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 5817 दिनांक 03.05.1963 के आलोक में चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर एक महीने की सूचना पर अभ्यर्थी की सेवा समाप्त की जा सकती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रदीप कुमार पासवान)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 4/मुकदमा –04–07/2023 का० **5146**/ राँची, दिनांक **6** अगस्त, 2024

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 4/मुकदमा –04–07/2023 का० **5146**/ राँची, दिनांक **6** अगस्त, 2024

प्रतिलिपि– माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/उपायुक्त, गढ़वा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक, जामताड़ा एवं श्री रविकान्त शर्मा, मोहल्ला–श्रीपल्ली कोर्ट रोड, नियर रेलवे स्टेशन, पोस्ट+थाना– जामताड़ा, जिला–जामताड़ा (मो0नं0– 8789894184) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. उपायुक्त, गढ़वा अभ्यर्थी के योगदान प्रतिवेदन, दहेज न लेने–देने संबंधी घोषणा–पत्र एवं संपति विवरणी की मूल प्रति विभाग को उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगें।

सरकार के अवर सचिव।

F:\Noting & Letter\marwari ravikant niyukti appointment\Notification -.doc